रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2017/श्रावण 10, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 189
No. 290] DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2017/SRAVANA 10, 1939 [N.C.T.D. No. 189

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

सं. 18/2017- राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(20) /वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/479.—उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (दिल्ली अधिनियम 2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व –1) की अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, जो कि दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस–VI/382 द्वारा दिनांक 30.06.2017 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(i) अनुसूची I - 2.5% में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
“182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है

182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है ";

(ii) अनुसूची II – 6% में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप–सचिव IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st July, 2017

No. 18/2017 -State Tax (Rate)

F. No. 3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/479.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Finance Department (Revenue-I), No.1/2017 – State Tax, dated the 30th June, 2017 published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, *vide* No.F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated 30th June, 2017 namely :—

2. In the said notification,—

(i) in Schedule I – 2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers";

(ii) in Schedule II – 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. IV (Finance)

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

सं.फा. 03(20) /वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/480.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व–1) की अधिसूचना सं01/2017 राज्यकर दिनांक 30.06.2017, जो कि दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में सं.फा. 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस–VI/382 द्वारा दिनांक 30.06.2017 को प्रकाशित, में

1. अनुसूची I – 2.5%, क्रम सं0.180, कॉलम–2 ''30'' प्रविष्ठि जो कि '' औषध या औषधियां, जिसमें उनके लवण और ईस्टर हैं, और नैदानिक परीक्षण किट, इस अनूसूची में उपाबद्ध सूची 1 में विनिर्दिष्ट'' है, के स्थान पर '' 30 या कोई अध्याय पढ़ें ''।
2. अनुसूची III – 9%, क्रम सं0.–42,कॉलम–(3) की प्रविष्ठि जो कि '' खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं, के स्थान पर '' खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं'' पढ़ा जाए।
3. अनुसूची III – 9%, क्रम सं0.–411 कॉलम–(3) जो कि '' चश्में (संशोधक के अलावा), धूप के चश्में या उसकी प्रकार की वस्तुएं, संशोधक, **संरक्षक या अन्य** '' है, के स्थान पर '' चश्में (संशोधक के अलावा)'' पढ़ा जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप–सचिव IV (वित्त)

CORRIGENDUM

Delhi, the 31st July, 2017

F. No. 3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/480.—In the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Finance Department (Revenue-I), No.1/2017 – State Tax, dated 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, *vide* No.F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017 :

1. In the Schedule - I – 2.5%, in S.No.180, for the entry in column (2) "30" relating to "Drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits, specified in List 1 appended to this Schedule", to be read as "30 or any Chapter".
2. In the Schedule - III – 9%, in S.No.42, the entry in column (3) i.e. "Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers" to be read as "Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, which are clearly not to be used as fertilizers".
3. In the Schedule – III – 9%, S.No.411, in column (3) i.e. "Spectacles [other than corrective]; goggles and the like, corrective, protective or other" to be read as "Spectacles [other than corrective]".

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. IV (Finance)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.05 10:48:25 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.